

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12983/2025

Satpal Singh S/o Shri Balveer Singh, Aged About 36 Years, R/o Goleta Police Station Udyog Nagar District Alwar. At Present In Central Jail, Alwar.

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through The Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Harendra Singh, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Arti Sharma, Gy.GA Mr. Vijendra Singh, IO, Police Station Ramgarh, present in person.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

08/12/2025

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत पुलिस थाना-उद्योग नगर (एमआईए), अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-328/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(2), 318(3), 318(4), 316(2), 319(2), 336(3), 338, 339 भारतीय न्याय संहिता तथा 66सी, 66डी आई.टी. एक्ट एवं 42(3)(ई), 42(6) दूरसंचार अधिनियम, 2023 में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या लिप्त किया गया है, वह दिनांक 12.09.2025 से अभिरक्षा में है तथा बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, इसलिए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

गत आदेश की पालना में अनुसंधान अधिकारी श्री विजेन्द्र सिंह, पुलिस थाना-रामगढ़ उपस्थित आये जिन्होंने निवेदन किया कि इस मामले में

अनुसंधान के पश्चात आरोप पत्र पेश किया जा चुका है, तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जिसे अभिलेख पर रखा गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा जो फर्जी सिम जारी की गयी थी, उसके माध्यम से बारह लाख रुपये की ठगी हुई है, 42 शिकायतें दर्ज हुई हैं, गंभीर अपराध का आरोप है, अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी-अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **सतपाल सिंह पुत्र बलवीर सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J